जागरण संवाददाता, आगरा: मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट एक कदम और आगे बढ़ गया है। एक बड़ी मुश्किल मानी जा रही रेलवे की अनापत्ति का मसला लगभग हल हो गया है। रेलवे ने प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को छह शर्तो के साथ लीज पर भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी है।

नेशनल हाईवे-2 से नेशनल हाईवे-3 को जोड़ने वाली इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट में कुबेरपुर के नजदीक एक आरओबी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने बीती पांच जुलाई को रेलवे को पत्र भेजा था, जिसमें आरओबी के लिए अनापत्ति मांगी गई थी।

उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर ने अब एडीए को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित प्रस्ताव के लिए अनापत्ति नहीं दी जा सकती है। इसके बजाय लीज पर या लाइसेंस पर भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। परंतु इसके लिए निर्धारित शर्ते पूरी करनी होंगी। साथ में भेजे गए सर्विस रोड के प्रस्ताव को भी अलग से भेजने को कहा गया है। एक शपथपत्र भी मांगा गया है। कंसलटेंट कास्टा इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज दुबे ने बताया कि रेलवे से हरी झंडी मिलने के बाद योजना की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। इस संबंध में कार्रवाई अब जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

यह हैं छह शर्ते

- इनर रिंग रोड की चौड़ाई एवं लंबाई के अनुसार भूमि लीज या लाइसेंस पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- रोड का निर्माण कॉलम और बीम पर होगा। अर्थ वर्क के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

- रोड के नीचे की भूमि रेलवे के अधीन होगी, उसका उपयोग रेलवे करेगी।

- कॉलम्स की दूरी व बीम की लंबाई कुबेरपुर यार्ड के विस्तार के अनुसार होगी।

- रोड की ड्राइंग व डिजाइन का अनुमोदन रेलवे से कराना होगा।

- रोड का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड से पास होने के बाद प्रस्तावित सर्विस रोड के प्रस्ताव पर अलग से विचार किया जाएगा।

उस्मानी ने बताया कि आगरा इनर रिंग रोड कानपुर रोड ग्राम कुबेरपुर से प्रारम्भ होकर ग्वालियर रोड पर स्थित ग्राम रोहता से जोड़ने वाली 100 मीटर चैड़ी तथा 22.80 किमी0 लम्बी 6 लेन की सड़क सार्वजनिक निजी सहभागिता पर क्रियान्वित करायी जाने वाली परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर एक आरओबी, 12 व्हीकुलर अण्डरपास, 8 पैडेस्ट्रियन अण्डरपास, 27 माईनर ब्रिज, 3 इण्टरचेंज तथा यमुना नदी पर एक मेजर ब्रिज बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह सड़क लगभग 743.75 करोड़ रूपये की लागत से तैयार करायी जायेगी।

जागरण संवाददाता, आगरा: भूमि अधिग्रहण की मुश्किलों के बीच प्रदेश सरकार आगरा में नई प्रक्रिया अपनाने जा रही है। यहां की योजनाओं में गुजरात और राजस्थान की तरह लैंड पूलिंग के जरिये किसानों की जमीन लेकर उन्हें मुआवजे की बजाए विकसित जमीन दी जाएगी। इसके लिए किसानों को रजामंद करने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश मिल चुके हैं।

सूबे में सपा की सरकार बनने के बाद बीते साल इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट को प्राथमिकता में शामिल किया गया था। तब इस प्रोजेक्ट को भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग के फार्मूले को लागू करने की बात कही गई थी। बीते साल अगस्त में इसके लिए एडीए के अधिकारियों की एक टीम भी जयपुर भेजी गई थी। टीम ने वहां भूमि अधिग्रहण की नीति का अध्ययन किया। इसके बाद इसी नीति के तहत अधिग्रहण की कोशिश भी हुई, परंतु अधिकारी किसानों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाए, जिसके चलते यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

अब शासन आगरा में इसी नई नीति को लागू कराने के लिए गंभीर है। पिछले दिनों लखनऊ में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने इसके लिए निर्देश दिए। नीति के तहत किसानों को उनकी भूमि के बदले दूसरी जगह पर 30 फीसद भूमि विकसित कर दिए जाने का प्रावधान है। जयपुर में लागू नीति में 25 फीसद भूमि दी जाती है, जबकि आगरा में इसे 30 फीसद करने की बात की गई है।

हालांकि यह नीति इनर रिंग प्रोजेक्ट के लिए लागू नहीं होगी। एडीए सूत्रों के मुताबिक, इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए वर्तमान में चल रही प्रक्रिया ही जारी रहेगी। लैंड पूलिंग नीति आगे आने वाली योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को इस्तेमाल की जाएगी।

--

शासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में इसके तहत ही अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी।

अजय चौहान, उपाध्यक्ष एडीए

कितनी दी जाएगी जमीन

आगरा में विकसित जमीन 30 फीसद दी जाएगी

जयपुर में 25 प्रतिशत विकसित जमीन का प्रावधान